(12)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर
समक्ष : डा0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 586–तीन/2015 – विरूद्व आदेश दिनांक 10–3–2015 – पारित द्वारा – अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर – प्रकरण कमांक 430/2012–13 अपील

1– दुर्गाप्रसाद पुत्र स्व0शिवदयाल शर्मा
2– अरूणकुमार पुत्र स्व0शिवदयाल शर्मा
3– सुशीलकुमार (मृतक) पुत्र स्व0शिवदयाल शर्मा
वारिस
अ– अविनास पुत्र स्व0 सुशीलकुमार
ब– नेन्सी स– दीपशिखा नावालिग पुत्रियां स्व.सुशीलकुमार
द– श्रीमती उषा पत्नि स्व. सुशीलकुमार
सभी निवासीगण चांदनी चौक पिछोर
तहसील पिछोर जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश ———आवेदकगण

विरूद्व

1– श्रीमती किरण पुत्री शिवदयाल पत्नि सुरेश भटट्
निवासी जल मंदिर के सामने शिवपुरी
2– श्रीमती विमल पुत्री शिवदयाल पत्नि स्व.समीर शर्मा
निवासी टोडरमल धर्मशाला कोर्ट रोड शिवपुरी
3– श्रीमती कुसुम पुत्री शिवदयाल शर्मा पत्नि रमेश शर्मा
निवासी बुजुर्ग रोड शुक्ला डेयरी के पास डबरा
जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश ———अनावेदकगण

(श्री एस0के0 अवस्थी एवं श्री जी0पी0नायक अभिभाषक – आवेदकगण)
(श्री एस0एल0 धाकड़ अभिभाषक – अनावेदकगण)

आ दे श
(दिनांक 4 अप्रैल,2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 430/2012–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 10–3–2015 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारांश यह है कि तहसील न्यायालय पिछोर द्वारा प्रकरण कमांक 1/2009–10 अ–6 में पारित आदेश दिनांक 4–12–2009 से भूमि कुल किता 22 कुल रकबा 5.88 हैक्टर एवं कुल किता 13 कुल रकबा 17.62 हैक्टर में से हिस्सा 1/2 (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) पर मृतक भूमिस्वामी शिवदयाल के स्थान पर आवेदकगण के हित में पंजीकृत वसीयत के आधार पर नामान्तरण के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व अनावेदिका किरन एवं विमल ने पुत्री होने के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, पिछोर के समक्ष अपील कमांक 14/2009–10 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 7–4–2010 से अपील स्वीकार कर उभय पक्ष की सुनवाई हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 218–2009–10 में पारित आदेश दिनांक 18–7–11 से अपील अस्वीकार की गई । तहसील न्यायालय में प्रकरण वापिस आने पर उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 25–5–12 पारित किया गया तथा मृतक शिवदयाल की वादग्रस्त भूमि स्वअर्जित पाकर वसीयत के आधार पर आवेदकगण का नामान्तरण किया गया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी, पिछोर के समक्ष अपील होने पर 8/2011–12 अपील में पारित आदेश दिनांक 19–3–2013 से अपील स्वीकार की गई एवं वादग्रस्त भूमि मृतक शिवदयाल की पैत्रिक होना मानकर उभय पक्ष का नामान्तरण स्वीकार किया गया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 430/2012–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 10–3–2015 से अपील अस्वीकार की गई। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाए गए बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों को सुना गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के साथ उभय पक्ष के अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत लेखी बहस पर विचार किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि साक्षीगण के कथनों से वसीयतनामा प्रमाणित है और वादग्रस्त भूमि कभी भी स्वर्गीय शिवदयाल के पिता अथवा पूर्वजों के नाम नहीं रही है अपितु शिवदयाल की स्वअर्जित कृषि भूमि है क्योंकि यह भूमि जमींदारी के पूर्व मध्य भारत शासन के नाम थी एवं बाद में शिवदयाल को पटटे पर प्राप्त हुई है। स्वअर्जित भूमि पर पंजीकृत वसीयत के कारण उत्तराधिकारिता के नियम लागू नहीं होते हैं। जब तहसील न्यायालय में पक्षकारों की दो–दो बार सुनवाई हो चुकी है एवं अनावेदकगण वादग्रस्त भूमि को

पैत्रिक भूमि होना सिद्ध नहीं कर सकीं हैं एवं वसीयत को गलत साबित नहीं कर सकीं है फिर भी अनुविभागीय अधिकारी ने जानबूझकर नियमों से हटकर पैत्रिक संपत्ति मानते हुये अनावेदकगण को हिस्सा देने में भूल की है जबकि अनावेदक कमांक–2 एवं 3 तहसीलदार के समक्ष वादग्रस्त भूमि में हिस्सा न होने से हिस्सा न लेना तहसीलदार के समक्ष बता रही हैं फिर भी अनुविभागीय अधिकारी ने इन तथ्यों की अनदेखी की है एवं अपर आयुक्त द्वारा भी अभिलेख का भली–भांति अवलोकन किये बिना सरसरी तौर पर आदेश पारित करने में भूल की है। उन्होंने तहसीलदार के आदेश को यथावत् रखने एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के आदेश निरस्त करने की मांग रखी।

अनावेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि स्वर्गीय शिदयाल के 3 पुत्र एवं 3 पुत्रियां है शिवदयाल की प्रापर्टी पैत्रिक है स्वअर्जित नहीं है जिसके कारण अनावेदकगण समान उत्तराधिकारी हैं। आवेदकगण द्वारा फर्जी वसीयत प्रस्तुत की गई है शिवदयाल ने कोई वसीयत नहीं की है। खसरा 1962–63 में यह भूमि गनेशीलाल एवं शिवदयाल के नाम से अंकित है। संबत 2009 के खसरा अनुसार भूमि शासन से प्राप्त होना बताया है परन्तु कृषक का नाम गनेशी पुत्र दौलत लिखा है इस प्रकार संपत्ति पैत्रिक होकर सहदायिकी है। आवेदकगण वसीयत प्रमाणित करने में असफल रहे हैं इसलिये शिवदयाल की पैत्रिक भूमि होने के कारण उसके विधिक वारिस 3 पुत्र एवं 3 पुत्रियां हैं जो समान भाग के उत्तराधिकारी है। उन्होंने निगरानी निरस्त करने की मांग की है।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि शिवदयाल की दिनांक 2–5–2009 को मृत्यु होने के वाद आवेदकगण ने वसीयत के आधार पर तहसील न्यायालय में दिनांक 31–8–2009 को नामान्तरण आवेदन दिया है एवं तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 1/2009–10 अ–6 पंजीबद्व कर नामान्तरण कार्यवाही प्रारंभ की है तथा आवेदकगण की सुनवाई कर आदेश दिनांक 4–12–2009 से वसीयत के आधार पर नामान्तरण के आदेश दिये हैं जिसके विरूद्व अनावेदकों ने तहसीलदार न्यायालय के प्रकरण में पक्षकार न बनाये जाने के आधार पर अपील प्रस्तुत की है। विचार योग्य यह है कि शिवदयाल की मृत्यु दिनांक 2–5–2009 को हुई है एवं अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील कमांक 14/2009–10 प्रस्तुत करने के दिनांक तक अनावेदकगण ने स्वयं के

हित में पैत्रिक संपत्ति के आधार पर तहसील न्यायालय में नामान्तरण का आवेदन देकर कार्यवाही नहीं की –

6/ अनुविभागीय अधिकारी पिछोर के आदेश दिनांक 19–3–13 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि उन्होंने आदेश में अंकित किया है कि :–

> "वसीयतकर्ता के वारिसान में तीन पुत्र व तीन पुत्रियां है किन्तु उसके द्वारा अपनी भूमि तीनों पुत्रों के नाम वसीयत की है वसीयत नैसर्गिक उत्तराधिकार में बाधक है। तीन पुत्रों के नाम वसीयत किया जाना उचित नहीं है।"

अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिया गया उक्तानुसार निष्कर्ष उचित नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति का व्ययन वसीयत के माध्यम से करने हेतु स्वतंत्र है चाहे वसीयत भविष्य में प्रभावी रहे अथवा न रहे – किन्तु वसीयत करने से रोके जाने बावत् प्रावधान नहीं है। अनावेदिकाओं का यह उत्तरदायित्व है कि यदि वह वादग्रस्त भूमि में अपना भाग पाना चाहती है तथा वसीयत फर्जी बता रही है तो वसीयत संदिग्ध व अप्रमाणित करने का दायित्व उन्हीं का है। वसीयत को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर किसी प्रकार का आदेश उनके पक्ष में हुआ हो यह जानकारी भी प्रकरण में उपलब्ध नहीं है। वसीयत पंजीकृत है तथा वसीयत के प्रमाण में साक्षियों के शपथ–पत्र एवं कथन हैं, जिनका प्रतिपरीक्षण की किया गया। इस आधार पर तहसीलदार ने वसीयत की पुष्टि मानी है। नामांतरण के पूर्व इश्तहार का प्रकाशन होना पाया गया एवं तहसीलदार द्वारा फैसला उभयपक्ष को सुनकर किया गया।

7/ तहसील न्यायालय के प्रकरण के अवलोकन से यह प्रकट है कि पृष्ठ 86 पर खसरा संवत् 2009–10 की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है। जिसके खसरे में अंकन अनुसार भूमिस्वामी के खाना नंबर 3 में भूमि मध्य भारत शासन के स्वामित्व की दर्ज है एवं कालम नंबर 5 में खेती करने वाले कृषकों के नाम दर्ज हैं जिसमें मृतक शिवदयाल का नाम भी शामिल है, परन्तु प्रकरण में इस प्रकार का अन्य अभिलेख संलग्न नहीं है जिससे ज्ञात हो सके कि मध्य भारत शासन के स्वामित्व की भूमि जमींदारी समाप्ति उपरांत शिवदयाल को भूमिस्वामी स्वत्व पर सीधे आई अथवा पूर्वजों के नाम पर दर्ज होने के पश्चात् उत्तराधिकार क्रम में आई। इन तथ्यों की जांच तहसीलदार ने नहीं की। अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा भी अपील में इस

महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान नहीं दिया है। मृतक शिवदयाल द्वारा छोड़ी गई वादग्रस्त भूमि पर उसके विधिक वारिसान का नामान्तरण वसीयत के आधार पर किया जा सकता है अथवा उत्तराधिकारिता के आधार पर होगा, यह तभी संभव है जब यह स्पष्ट हो जावे कि मृतक शिवदयाल की वादग्रस्त भूमि पैत्रिक है अथवा स्वार्जित। मध्य भारत शासन के स्वमित्व की भूमि जमींदारी समाप्ति उपरांत सीधे शिवदयाल के नाम पर अर्जित हुई है अथवा पहले शिवदयाल के पिता के नाम पर दर्ज होने के पश्चात् विरासत में शिवदयाल को प्राप्त हुई? वादग्रस्त भूमि पट्टे पर अथवा अन्य किसी वैधानिक रूप से शिवदयाल के नाम पर प्राप्त होने पर उसे पैतृक नहीं माना जाएगा एवं उक्त स्थिति में वसीयत प्रभावी होगी परन्तु यदि शिवदयाल के पिता या पितामह के बाद उत्तराधिकार क्रम में शिवदयाल के नाम पर हुई है तो उसे पैतृक माना जाएगा। उक्त स्थिति में शिवदयाल की अपने स्वयं के अंश भाग तक ही वसीयत प्रभावी हो सकती है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आदेश पारित करने के पूर्व उक्त तथ्य पर विचार न करने से आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 430/2012–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 10–3–2015, अनुविभागीय अधिकारी, पिछोर द्वारा प्रकरण कमांक 8/2011–12 अपील में पारित आदेश दिनांक 19–3–2013 एवं तहसीलदार पिछोर द्वारा प्रकरण कमांक 1/2009–10 अ–6 में पारित आदेश दिनांक 25–5–12 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहसीलदार पिछोर की ओर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह उक्त पैरा क्रमांक–7 में की गई विवेचना अनुसार वादग्रस्त भूमि शिवदयाल को भूमिस्वामी के रूप में पैतृक अथवा स्वार्जित रूप से प्राप्त होने के संबंध में शासकीय अभिलेखों तथा उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर जाँच कर पुनः विधिवत् आदेश पारित करे।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल म0प्र0
ग्वालियर